FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

सुभाषचन्द्र वगै0 बनाम रायसिंह वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 191/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
23.12.25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं0 01, 04 जवाब शामिल मिसल हो चुके है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया है कि उक्त वादगत भूमि पुष्तैनी है और अप्रार्थी सं0 1 को बंधक बनाकर धोखाधड़ी से बैयनामा अप्रार्थी सं0 04 ने करवा लिया है। वादगत भूमि में प्रार्थीगण का हक निहित है इसलिए वाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई फरमाई जावे। अप्रार्थी सं0 4 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादगत भूमि जरिये खरीदषुदा है और बैयनामा आज दिनांक तक कायम है इसलिए वादगत भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 का वर्तमान में कोई हक निहित नहीं रहा है। चूंकि अप्रार्थी सं0 4 द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की है इसलिए वादगत भूमि पर समस्त हक–अधिकार अप्रार्थी सं0 4 के है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 दुरभिसंधि करके स्थगन की आड़ में उक्त बैयनामा का इंतकाल रूकवाकर तंग–परेषान करना चाहते है। बैयनामा के विरूद्ध सुनने का क्षेत्राधिकार भी न्यायालय हाजा को नहीं है एवं प्रार्थीगण न्यायालय को गुमराह कर एकपक्षीय स्थगन आदेष जारी करवा लिया है। प्रार्थीगण को न्यायालय में वाद लाने का वाद हैतुक ही प्राप्त नहीं था। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन मूल बिन्दू/शर्त है कि प्रथमदृष्ट्या मामला, अपूर्णनीय क्षति, सुविधा का संतुलन है उक्त तीनों ही शर्त प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। वादगत भूमि अप्रार्थी सं0 4 की खरीदषुदा भूमि है जिसमें अन्य किसी का हक निहित नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र नियमानुसार न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावे। न्यायालय द्वारा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू को साबित करने में असफल रहे है। अतः यह पत्रावली/प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है एवं दिनांक 03.11.25 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज 23.12.25 सरे इजलास सुनाया गया।	